राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, राजीव गांधी विद्या भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017
दूरभाष 0141-2715810, E-mail: [illegible]

क्रमांक रास्कूशिप / जय / बालिका शिक्षा / 2023-24 / ५२५२ दिनांक 16/08/2023

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा
समस्त जिले।

विषय – सत्र 2023–24 रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजन के संदर्भ में विस्तृत दिशा-निर्देश।

संदर्भ :– परिषद की मार्गदर्शिका क्रमांक 3240 दिनांक 21.07.2023 के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2023–24 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण तकनीकों पर प्रशिक्षित किया जाना है। इस हेतु राज्य स्तर पर राजस्थान पुलिस अकादमी के सहयोग से स्टेट रिसोर्स पर्सन (स्टेट रिसोर्स पर्सन) तथा ब्लॉक स्तर पर प्रति विद्यालय से प्रति प्रशिक्षु को प्रशिक्षित किया जाना है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण का उद्देश्य बालिकाओं में आत्मरक्षा, आत्मविश्वास की भावनाओं को जागृत कर उनको सबल एवं सजग बालिका के रूप में प्रतिष्ठित करना है। इस हेतु निम्न तालिका एवं प्रशिक्षण व्यय अनुसार ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाने है।

क.सं.	आत्मरक्षा प्रशिक्षण	प्रशिक्षणदाता	दिनांक	संभागी	व्यय
1	ब्लॉक स्तरीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण (7 दिवसीय गैर आवासीय)	एसआरजी (राजस्थान पुलिस अकादमी से प्रशिक्षित) द्वारा	अनुमानित 17.08.2023 से 15.09. 2023	प्रा०शि एवं मा०शि० के प्रत्येक विद्यालय से 01 शारीरिक शिक्षिका / शिक्षिका **नोट – विद्यालय में कोई भी शिक्षिका ना होने की स्थिति में पुरूष शिक्षक प्रतिभागी होगा।**	300 /– रूपये प्रति दिवस प्रति संभागी
2	टीम निडर का गठन			जिले में ब्लॉक स्तर एवम् विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण की मॉनीटरिंग हेतु टीम निडर का गठन जिसमें (03 प्रा०शि से एवं 03 मा०शि से शारीरिक शिक्षिका (यथासंभव महिला)	700 /– रूपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिवस (07 दिवस हेतु) इसी मद से देय होगा।
4	रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा दल शिविर (नवीन)	विद्यालय स्तर	03.10.2023 से 15.10. 2023	कक्षा 06–12 की चयनित एवं दल का प्रतिनिधित्व करने वाली [illegible]	प्रति विद्यालय 2700 /– रूपये (700 /– रूपये पोस्टर बैनर, फोटोकॉपी एवं अन्य विविध तथा [illegible]00 /– रूपये [illegible] हेतु अल्पाहार)

Signature Valid
Digitally signed by Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2023.08.[illegible] [illegible]0:40:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4518795

1. **ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण –**

पीईटी/शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण – प्रत्येक विद्यालय से एक शिक्षिका /महिला पीईटी बालिकाओं हेतु प्रशिक्षक का दायित्व निर्वहन करेगी। इन पीईटी/शिक्षिकों को आत्मरक्षा तकनीकों पर तैयार करने एवं बाल–अधिकार संबंधित जानकारी देने हेतु 07 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन ब्लॉक स्तर पर किया जायेगा। प्रशिक्षण पश्चात उक्त प्रशिक्षक अपने–अपने विद्यालयों में कुल 45 दिन (15 दिन प्रतिमाह, तीन–माह) में बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देंगे। राजस्थान पुलिस अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् स्वंय के जिले में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण प्रारंभ किये जायेगें। इस हेतु ब्लॉक स्तर पर समस्त विद्यालयों हेतु दिशा–निर्देश प्रेषित किये जा सकेगें।

प्रशिक्षण हेतु निर्धारित मापदण्ड :–

1. प्रत्येक बैच में विभाजन के आधार पर संभागियों की संख्या (45–55) के मध्य निर्धारित की जाये। प्रत्येक बैच के लिये 02 प्रशिक्षक नियुक्त किये जाये (एक प्रशिक्षक – वर्तमान सत्र में आरपीए से प्रशिक्षित एवं 01 प्रशिक्षक पूर्व वर्षो में प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता)।
2. प्रत्येक विद्यालय से शारीरिक शिक्षिका उक्त प्रशिक्षणों में संभागी के रूप में भाग लेंगी। शारीरिक शिक्षिका नहीं होने पर अन्य सामान्य शिक्षिका (संस्थाप्रधान द्वारा चयनित) प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी।
3. प्रशिक्षण समय–सीमा के अनुसार प्रत्येक विद्यालय से प्रशिक्षु को प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षण में शिथिलन का आधार :–

1. गर्भवती शिक्षिका संभागी को।
2. ऐसी शिक्षिका जिसके शिशु की आयु 12 माह तक की हो।
3. ऐसी शिक्षिका जो गंभीर रोग से पीड़ित हो, को चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर।
4. ऐसी शिक्षिका जिनकी सेवानिवृति में 05 वर्ष शेष हो।
5. शिथिलन का अधिकार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा को अधिकृत किया जाता है। समिति की अभिशंषा एवं उचित दस्तावेज संलग्न करने के पश्चात् ही कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखा जावे। इसकी समस्त जिम्मेदारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा की होगी।

2. विद्यालयों में बालिकाओं हेतु आत्मरक्षा शिविर का आयोजन एवं बालिकाओं का आत्मरक्षा प्रशिक्षण अभ्यास –

ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित पीईटी/अध्यापिका विद्यालय में समस्त बालिकाओं को छोटे समूह में आत्मरक्षा तकनीकों पर प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण के साथ–साथ बालिकाओं के साथ बाल–अधिकार एवं सुरक्षा के सत्रों का भी आयोजन करेंगे।

- प्रशिक्षक/शिक्षक संस्थाप्रधान को प्रशिक्षण – आत्मरक्षा तकनीकों एवं चर्चा सत्रों के आयोजन संबंधी समस्त जानकरियां उपलब्ध करायेगा और उसकी कार्ययोजना तैयार करेगा।
- कक्षा 6 से 8 एवं 9 से 12 की बालिकाओं के प्रशिक्षण हेतु पृथक–पृथक समूह बनाये जायें।
- संस्थाप्रधान आत्मरक्षा प्रशिक्षण को विद्यालय समय–सारणी में प्राथमिकता देंगे। प्रशिक्षक द्वारा चर्चा–सत्रों को भी समय–सारणी में सम्मिलित किया जाये।
- प्रशिक्षण पश्चात नियमित अभ्यास हेतु संस्था प्रधान यथासंभव अभ्यास करवायेंगे।
- बालिकाओं को आत्मरक्षा तकनीकों पर नियमित अभ्यास के [illegible] प्रशिक्षक/पीईटी की देखरेख में हो, इसकी जिम्मेदारी संस्थाप्रधान की होगी।

Signature valid
Digitally signed by [illegible]
Designation : Commissioner
Date: 2023.08.16 20:40:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4518795

- भोजन के तुरन्त बाद किसी तरह का शारीरिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाये।
- किसी भी बालिका को विद्यालय परिसर से बाहर अथवा विद्यालय समय से पूर्व/बाद में संस्थाप्रधान अथवा एसएमसी/ एसडीएमसी की लिखित अनुमति के बिना प्रशिक्षण नहीं दिया जाये।
- विद्यालयों में तीन–माह में कुल 45 दिन हेतु (30 मिनट का अभ्यास) बालिकाओं के लिये आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना है।

विद्यालय स्तर पर रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा शिविर आयोजन के संबंध में निर्देश :–

- कक्षा 06–08 हेतु आत्मरक्षा प्रशिक्षण की तकनीकों का अभ्यास तथा कक्षा 09–12 हेतु मार्शल आर्ट की तकनीकों का अभ्यास प्रशिक्षित महिला पीईटी के माध्यम से किया जाये।
- प्रत्येक विद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा दल का गठन किया जाना है। 10 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा शिविर का आयोजन माह अक्टूबर 2023 में किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक कक्षा से इच्छुक छात्राएं भाग ले सकेंगी।
- उक्त शिविर हेतु (25 – 30 छात्राओं) बालिकाओं के नाम, चयन करें एवं रिकार्ड संधारित करें। यह शिविर गैर आवासीय होगा एवं विद्यालय समय के दौरान आयोज्य होगा। प्रशिक्षण हेतु समय–सारिणी विद्यालय समय के अनुरूप निर्धारित होगी।
- शिविर आयोजन हेतु प्रत्येक विद्यालय को एकमुश्त राशि 2700/– रूपये प्रति विद्यालय परिषद द्वारा प्रदान की जा रही है। इस राशि का उपयोग प्रशिक्षण के दौरान आईईसी सामग्री (पोस्टर/बैनर्स) बालिकाओं हेतु अल्पाहार, बालिकाओं हेतु सर्टिफिकेट, प्रशिक्षणों के दौरान काम में आने वाली अन्य मूलभूत सामग्री हेतु किया जायेगा।
- विद्यालय स्तर पर प्रदान किये जा रहे बजट से बालिकाओं का प्रातःकालीन एवं सांयकालीन अल्पाहार एवं आवश्यकतानुसार आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु आवश्यक संसाधन जैसे – अभ्यास एवं प्रशिक्षण हेतु प्रचार–प्रसार की सामग्री (पोस्टर/बैनर) एवं अन्य आवश्यक सामग्री।
- प्रशिक्षण में भाग लेने वाली बालिकाओं को पूर्व सूचना प्रदान की जाये कि वे इस हेतु मानसिक रूप से तैयार रहें एवं प्रशिक्षण हेतु निर्धारित ट्रैकसूट (व्हाईट टीशर्ट एवं ब्लू लोवर, स्पोर्टस शू ब्लू या व्हाईट कोई भी) आवश्यक पोशाक जूते उपलब्धता के आधार पर साथ लेकर आवें। आत्मरक्षा प्रशिक्षण पोशाक हेतु भामाशाहों का भी सहयोग लिया जा सकता है तथा प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय विकास कोष के माध्यम से एचडीएमसी/एसएमसी की सहमति से सहयोग लिया जा सकता है।
- आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री – मैट, फोन पैड, पंच पैड, चेस्ट गार्ड, हैड गार्ड, ढाल, तुर्रा, वुडन स्टिक, नान चाकू, ढोल।
- विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं को चाईल्ड हैल्पलाईन नं0 1098 की जानकारी के साथ–साथ उसका उपयोग किये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश एवं डेमोंस्ट्रेशन दिया जाये ताकि बालिका अपने साथ हो रहे हिंसा/अपराध की शिकायत दर्ज कर सके।

कार्यक्रम का प्रारंभ एवं रिपोर्टिंग समय	आत्मरक्षा तकनीकों पर अभ्यास मॉडयूल अनुसार प्रतिदिवस	अल्पाहार हेतु ब्रेक	आत्मरक्षा तकनीकों पर पुर्नअभ्यास मॉडयूल अनुसार इन्डोर सत्र एवं पुर्नभ्यास प्रतिदिवस
30 मिनट	90 मिनट	30 मिनट	60 मिनट

3. मॉनीटरिंग एवं अभिलेख संधारण –

1. प्रशिक्षण से पूर्व एवं पश्चात् समस्त संभागियों को गूगल फार्म लिंक के माध्यम से प्री–टेस्ट एवं पोस्ट टेस्ट देना होगा। फीडबैक गूगल फॉर्म के माध्यम से लिया जायेगा। सभी प्रशिक्षणार्थियों को गूगल फॉर्म को भरना अनिवार्य होगा।
2. आत्मरक्षा शिविर एवं प्रतिदिवस आत्मरक्षा अभ्यास प्रक्रिया में भाग लेने वाली बालिकाओं की संख्या शाला दर्पण मॉडयूल में प्रत्येक संस्थाप्रधान द्वारा भरी जायेगी। यह प्रक्रिया शाला दर्पण मॉडयूल में अपडेट की जायेगी। प्रत्येक संस्थाप्रधान द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियों के फोटोग्राफ्स शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड किये जायेगें।

Signature valid
Digitally signed by Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2023.08.16 20:40:06 IST
Reason: Approved

3. राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षणों की मॉनीटरिंग राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के सक्षम अधिकारियों एवं संबंधित प्रकोष्ठ प्रभारियों के माध्यम से की जायेगी।
4. ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण संबंधी सूचनाओं का आदान–प्रदान, मॉनीटरिंग एवं समस्याओं के निराकरण, सीवीईओ कार्यालय के माध्यम से किया जायेगा।
5. आत्मरक्षा प्रशिक्षण की विषय विशेषज्ञों के माध्यम से मॉनीटरिंग हेतु जिला स्तर पर 06 सदस्यीय मॉनीटरिंग कमेटी टीम निडर का गठन पूर्व के वर्षो में किया गया है। जिसके माध्यम से ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षणों में सहयोग एवं मॉनीटरिंग दायित्व प्रदान किया जायेगा।
6. आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजन के संबंध में समस्त संस्थाप्रधान पूर्व कार्ययोजना तैयार करें। शिविर प्रभार एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण का दायित्व महिला शारीरिक शिक्षक का होगा। उक्त विद्यालय में महिला शारीरिक शिक्षक पदस्थापित न होने की स्थिति में निकटस्थ विद्यालय जहां महिला पीईटी के कार्यादेश ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्देशित किये जा सकेगें। सहयोग के रूप में विद्यालय से अन्य महिला शिक्षक को लगाया जा सकेगा।
7. शिविर हेतु बालिकाओं की संख्या के अनुसार विद्यालय के कक्ष आरक्षित किये जायें एवं 10 दिवसीय शिविर सारणी अनुसार बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।
8. शिविर में जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष एवं जिला शिक्षा अधिकारी एवं विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित कर बालिकाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाये।
9. प्रशिक्षण में भाग लेने वाली बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाये।
10. सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/ पीईईओ द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के दौरान शिविर केन्द्रों का गहन अवलोकन किया जाये एवं बालिकाओं को संबलन प्रदान करें।
11. गतिविधि सम्पन्न होने के पश्चात् रेण्डम सेम्पलिंग मूल्यांकन पद्धति से चयनित विद्यालयों में मूल्यांकन किया जायेगा।

(डॉ0 टी शुभमंगला)
आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि –

1. निजी सचिव, निदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय बीकानेर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम एवं द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. जिला प्रभारी, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर को लेख है कि सभी जिलों को मार्गदर्शन देते हुए दूरभाष के माध्यम से मॉनीटरिंग कर प्रशिक्षण को सफल बनावें।
5. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को पालनार्थ।
6. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2023.08.16 20:40:06 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4518795

मॉनीटरिंग प्रपत्र –1

जिले द्वारा गठित की गयी टीम निडर (मॉनीटरिंग कमेटी) के गठन की सूचना

जिला	कमेटी सदस्यों के नाम (शा.शि. विशेषज्ञ)	पदस्थान स्थान	मोबाईल न0	विशेष दक्षता	उपलब्धियां (अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / राज्य)
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				

मॉनीटरिंग प्रपत्र –2

टीम निडर (मॉनीटरिंग कमेटी) द्वारा विजिट रिपोर्ट प्रपत्र

जिला	कमेटी	विजिट हेतु लक्ष्य (दिवसवार)	विजिट किये गये ब्लॉक का नाम	विशेष विवरण

आत्मरक्षा तकनीकों पर 07 दिवसीय आवासीय एवं गैर आवासीय
प्रशिक्षण हेतु सत्र–योजना

क्र. सं.	वार	विद्यालय समय अनुसार दो सत्रों में आयोजित किया जाना है (मध्यान्ह पूर्व आउटडोर सेशन एवं मध्यान्ह पश्चात् इन्डोर सेशन)						
1	प्रथम दिवस	पंजीकरण	योगा एवं प्राणायाम	कराटे की जानकारी एवं शरीर के नाजुक अंगों की जानकारी	आत्मरक्षा क्यों आवश्यक है।	मध्यान्तर	बाल अधिकार एवं बाल सुरक्षा संबंधित जानकारी गुड टच–बैड टच पर चर्चा	प्रातःकालीन प्रशिक्षण अभ्यास की जांच
2	द्वितीय दिवस	योगा एवं प्राणायाम	पूर्व दिवस प्रशिक्षण का अभ्यास	विभिन्न प्रकार के फॉल (गिरना) की जानकारी	विभिन्न प्रकार के फॉल (गिरना) का अभ्यास	मध्यान्तर	बालिका एवं महिला सुरक्षा संबंधी चर्चा – महिला सुरक्षा कं संदर्भ में साइबर सुरक्षा संबंधी सावधानियां एवं प्रावधान	प्रातःकालीन प्रशिक्षण अभ्यास की जांच
3	तृतीय दिवस	योगा एवं प्राणायाम	पूर्व दिवस प्रशिक्षण का अभ्यास	कराटे में हैण्ड मुमेन्ट की जानकारी	कराटे में हैण्ड मुमेन्ट का अभ्यास	मध्यान्तर	जेण्डर समानता एवं महिला सशक्तिकरण	प्रातःकालीन प्रशिक्षण अभ्यास की जांच
4	चतुर्थ दिवस	योगा एवं प्राणायाम	पूर्व दिवस प्रशिक्षण का अभ्यास	कराटे के पंचेज की जानकारी	कराटे के पंचेज का अभयास	मध्यान्तर	बाल श्रम निषेध व नियमन अधिनियम 1986, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, पोक्सो अधिनियम 2012	प्रातःकालीन प्रशिक्षण अभ्यास की जांच
5	पंचम दिवस	योगा एवं प्राणायाम	पूर्व दिवस प्रशिक्षण का अभ्यास	विभिन्न प्रकार के थ्रो (गिराना) की जानकारी	विभिन्न प्रकार के थ्रो (गिराना) का अभ्यास	मध्यान्तर	किशोरावस्था में जीवन कौशल का विकास	प्रातःकालीन प्रशिक्षण अभ्यास की जांच
6	षष्टम दिवस	योगा एवं प्राणायाम	पूर्व दिवस प्रशिक्षण का अभ्यास	विभिन्न प्रकार के चोक (दम घोटने की प्रक्रिया) की जानकारी	विभिन्न प्रकार के चोक (दम घोटने की प्रक्रिया) का अभ्यास	मध्यान्तर	किशोरावस्था में पोषण का महत्व एवं भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा बालिकाओं हेतु विभिन्न योजनाओं की जानकारी साथ ही सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव संबंधी जागरूकता	प्रातःकालीन प्रशिक्षण अभ्यास की जांच
7	सप्तम् दिवस	योगा एवं प्राणायाम	पूर्व दिवस प्रशिक्षण का अभ्यास	लुढकने के व्यायाम की जानकारी	विभिन्न प्रकार के लुढ़कने के व्यायाम का अभ्यास	मध्यान्तर	विद्यालय स्तर पर बालको को लैंगिक समानता के कार्यक्रमों में शामिल करना एवं सुरक्षित वातावरण के लिए संवाद कायम करना।	विद्यालय स्तर के लिए कार्ययोजना की तैयारी करना।

नोट :– ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण हेतु केआरपी से समन्वय कर समय–सारिणी निर्धारित की जाये। आत्मरक्षा प्रशिक्षण से संबंधित अन्य विषयवस्तु को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है।

विद्यालय स्तरीय प्रशिक्षण हेतु विद्यालय समय–अनुसार अथवा प्रशिक्षण समय अनुकूल प्रातः कालीन एवं सांयकालीन सेशन निर्धारित किये जाये।

ब्लॉक स्तरीय एकीकृत आत्मरक्षा प्रशिक्षण (गैर आवासीय)

व्यय मानक प्रति संभागी (07 दिवसीय गैर आवासीय शिविर हेतु) 300 रू प्रति संभागी प्रतिदिवस का विभाजन

क्र.सं.	व्यय मानक	कार्यदिवस	भौतिक लक्ष्य	राशि प्रति दिवस रूपये	कुल राशि
1	एक समय का भोजन, चाय, नाश्ता, पेयजल	7 दिवस	50	150	52500
2	प्रशिक्षण स्थल एवं बैठक व्यवस्था	1 बार	50	25	7500
3	पेन, डायरी, टी.एल.एम, स्टेशनरी, बैनर,	1 बार	50	30	1500
4	एसआरजी मानदेय	7 दिवस	2	700	9800
5	शिविर प्रभारी व्यवस्थापक	7 दिवस	1	500	3500
6	संभागी यात्रा भत्ता	7 दिवस	50	50	17500
7	विविध (फोटो कॉपी, लेपटोप, प्रोजेक्टर, टीएलएम, पार्टीसिपेशन सर्टिफिकेट, आत्मरक्षा प्रशिक्षण में उपयोग हेतु अन्य सहायक सामग्री, किराया इत्यादि)	एकमुश्त			12700
	कुल व्यय				**105000**